अनचाहा गर्भ : क्या करें?

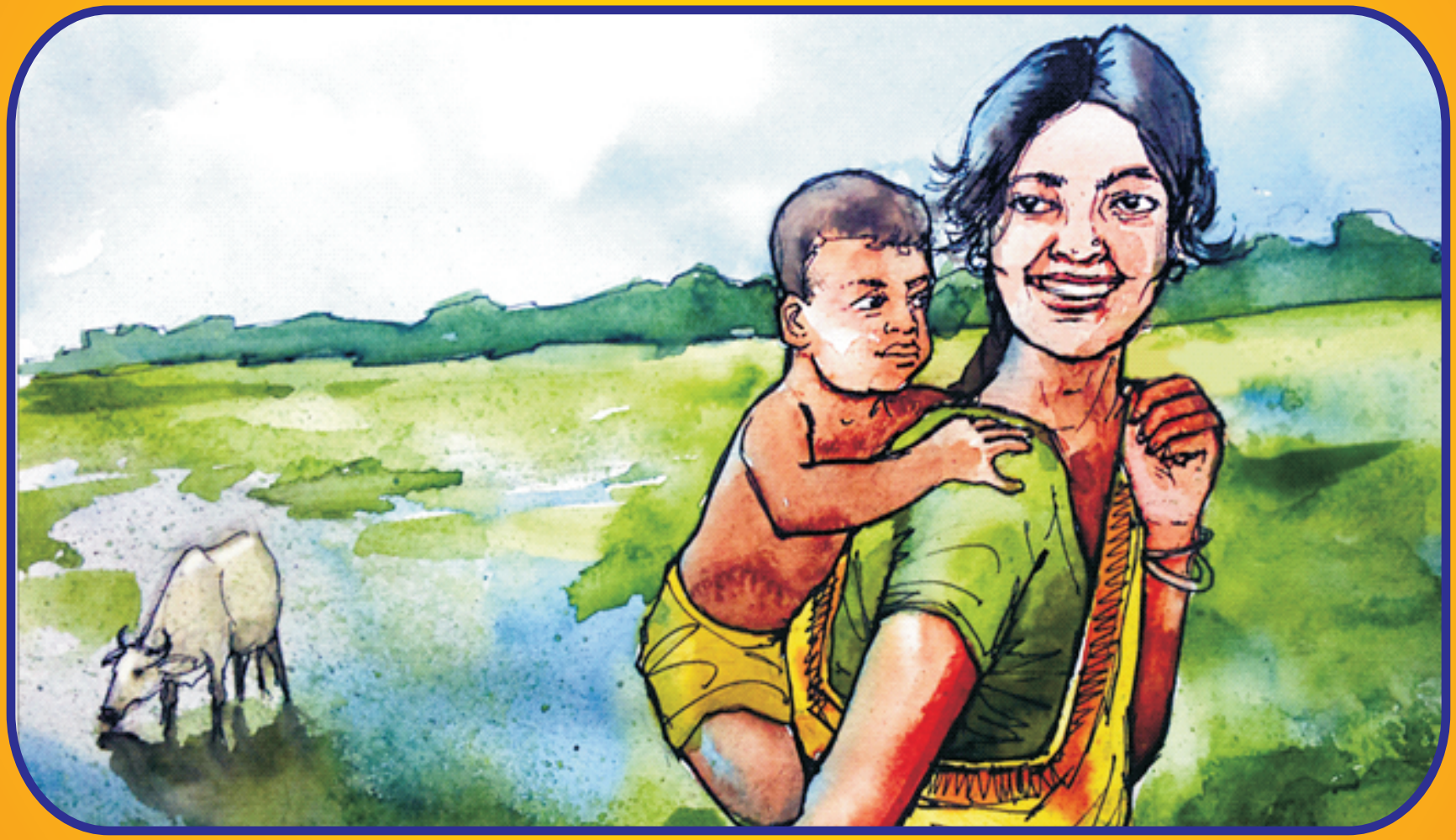

यह फ्लिप चार्ट गाँव और कस्बों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के उपयोग के लिए है।

अनचाहा गर्भ : क्या करें?

संस्करण : 2013

मूल्य :

प्रकाशक :
जन स्वास्थ्य सहयोग
सोसाइटी एक्ट, 1860 के तहत दिल्ली में पंजीकृत (एस – 30035/96)

स्वास्थ्य केन्द्र :
गाँव और पोस्ट ऑफ़िस गनियारी – 495112, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय :
आई 4, पारीजात हॉउसिंग सोसाइटी, नेहरू नगर, बिलासपुर – 495001, छत्तीसगढ़

पंजिकृत कार्यालय :
एस – 295, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली – 110048

फ़ोन : स्वास्थ्य केन्द्र : (07753)–224819, कार्यालय : (07752)–270966

ई मेल : janswasthya@gmail.com

अनचाहा गर्भ : क्या करें?

महिलाओं में स्वास्थ्य – जिनमें अनचाहा गर्भधारण भी शारीरिक एवं मानसिक परेशानी का कारण बन गया है। यह परेशानी किसी भी महिला को – चाहे अविवाहित या शादीशुदा दोनों में होती है।

गर्भनिरोधक तरीके उपयोग के अभाव में अनचाहा गर्भ होने का खतरा सभी महिलाओं को रहता है। चाहे जानकारी का अभाव हो या सामग्री की उपलब्धता की कमी, अनचाहा गर्भधारण महिलाओं के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। यह दुख की बात है कि आज भी सुरक्षित गर्भपात की जानकारी या व्यवस्था की उपलब्धता की कमी बनी हुई है।

यह फ्लिप बुक इन कुछ सवालों को लेकर बनी हुई हैं। एक गाँव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता की दिनचर्या के संदर्भ में (अ) कैसे शीघ्र पता करें कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं (ब) यदि अनचाहा गर्भ है तो क्या करें और क्या न करें, इसे समझाने का प्रयास किया है।

यह फ्लिप पुस्तिका आपके साथ है। यदि इसके सुधार के बारे में आपके कुछ सुझाव होंगे तो हमें अवश्य लिख कर बताएँ।

जन स्वास्थ्य सहयोग
महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम

यह है अतरिया गांव, अभ्यारण्य के क्षेत्र में बसा हुआ छोटा सा गाँव। आज यहाँ की स्वास्थ्य कार्यकर्ता अमरबती गाँव भ्रमण के लिए निकली है।

कार्यकर्ता हफ्ते में दो बार पूरे गाँव में घूमकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में पता करती है। तथा उपचार की सलाह भी देती है, अगर बड़ी परेशानी है तो उचित सलाह के साथ स्वास्थ्य केंद्र ले जाती है।

हमेशा की तरह आज भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता अमरबती सभी के घरों में जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्या के बारे में पता लगा रही है। चलो आज उसके साथ हम सभी अतरिया गाँव चलते है .....

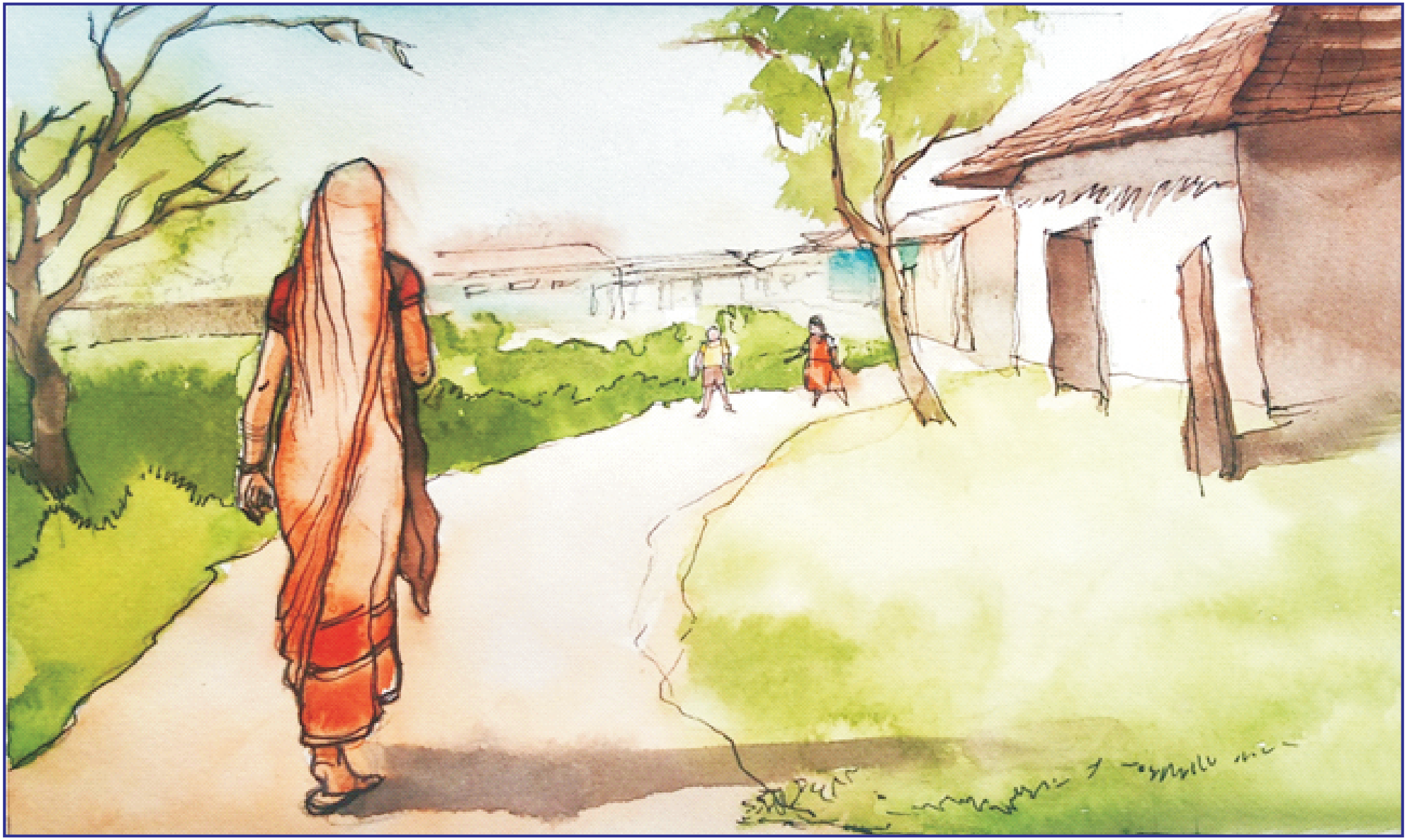

स्वास्थ्य कार्यकर्ता अमरबती रधिया को आवाज लगाती है।

अमरबती : घर में कोई है? रधिया ओ ऽऽऽ रधिया ओ ऽऽ

(रधिया बाड़ी से आंगन में आती है)

रधिया : अरे दीदी आओ ना, वह घर बनाने का काम शुरू किया है, मैं उसी में लगी थी इसीलिए जल्दी सुन नही पाई।

अमरबती : कोई बात नही बहन, अभी सबके घरों में ढेर सारा काम है। सभी लोग बाड़ी की साफ सफाई में लगे है, अब तो खेती का काम भी शुरू होनेवाला है। मेरी भी बाड़ी का काम करना बचा है। कल समय निकालकर मै भी करूंगी।

रधिया : हां दीदी , आज तो आपका पूरा समय गाँव घूमने में ही निकल जाएगा।

अमरबती : आज तो पूरा समय निकल जाएगा, हो सकता है कुछ बचे घरो के लिए कल भी घूमना पड़े।

रधिया : दीदी अंदर आओ ना, घर में बैठ कर बात करते है।

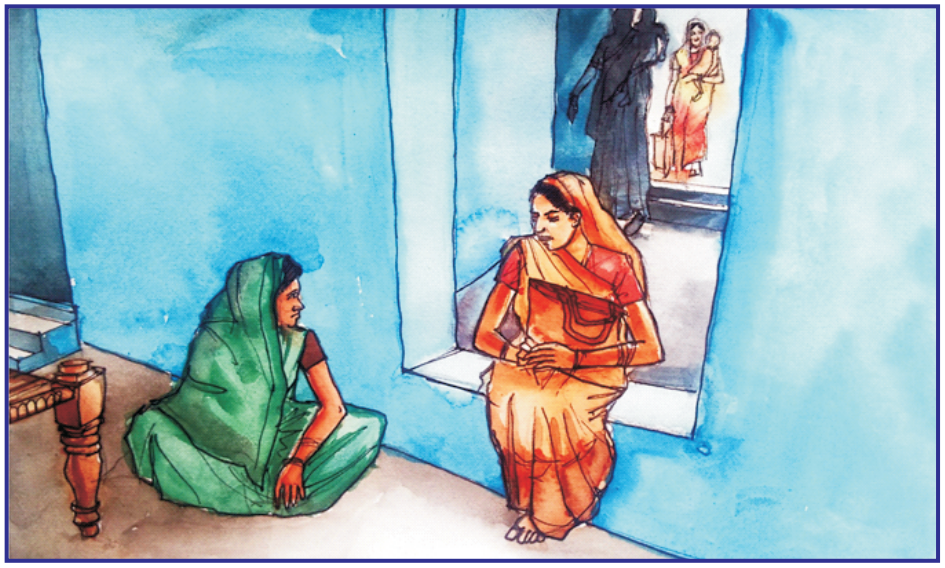

अमरबती : तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी तो नही है?

रधिया : नहीं दीदी, सब ठीक है।

अमरबती : किसी का महीना तो नही रूका है?

रधिया : अरें हां, दीदी मेरी देवरानी सुमन है ना, उसका जचकी के बाद महीना ही नही खुला है। 2–3 दिनों से सुबह–सुबह उल्टी–उल्टी लगता है ऐसा कह रही थी। मुझे पक्का पता नही है। अभी तो वह बाहर गई है ..... अरे .....

लो समुन आ गई, आप उसी से पूछियेगा।

रधिया : सुमन जरा इधर आना अमरबती दीदी कुछ पूछना चाहती है।

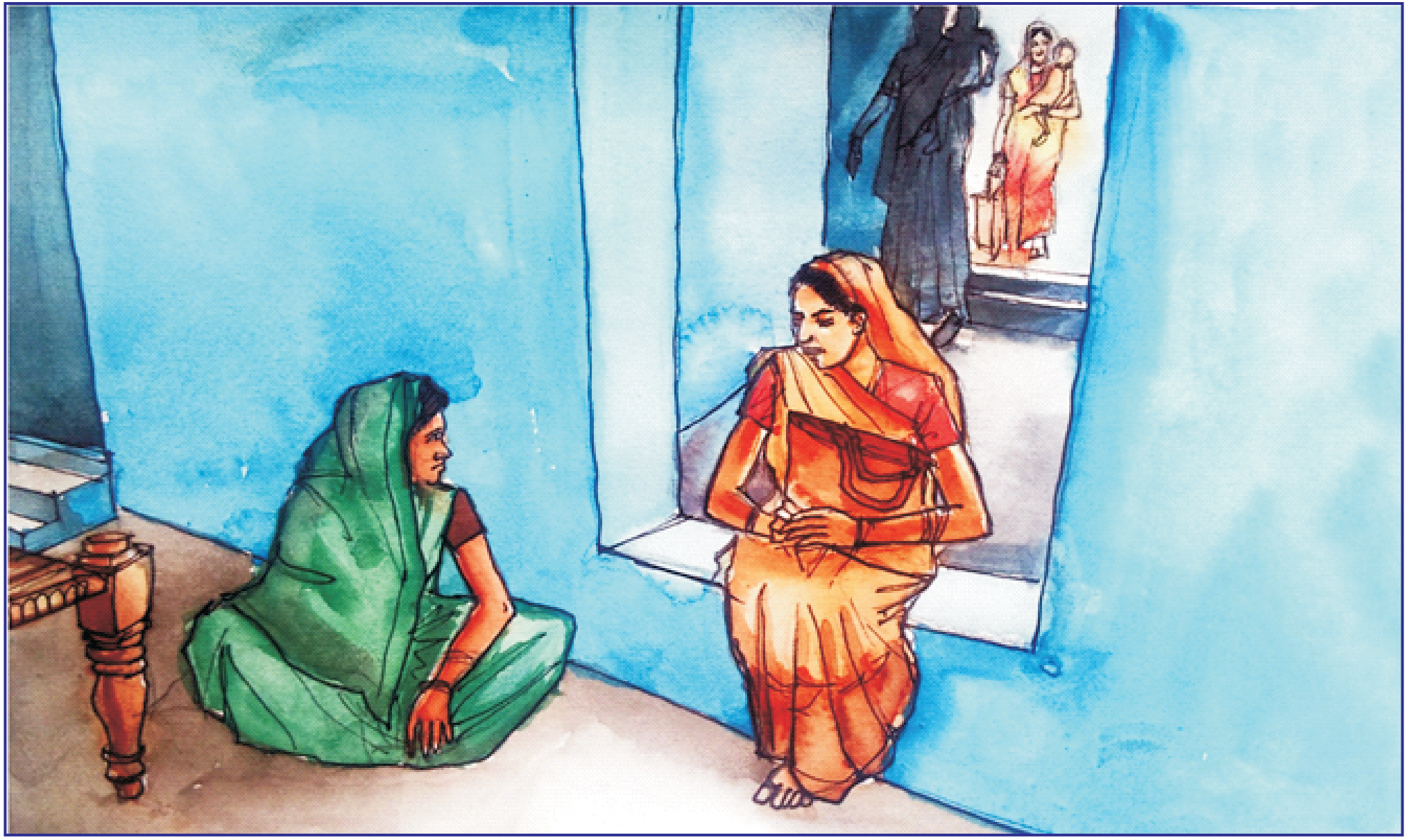

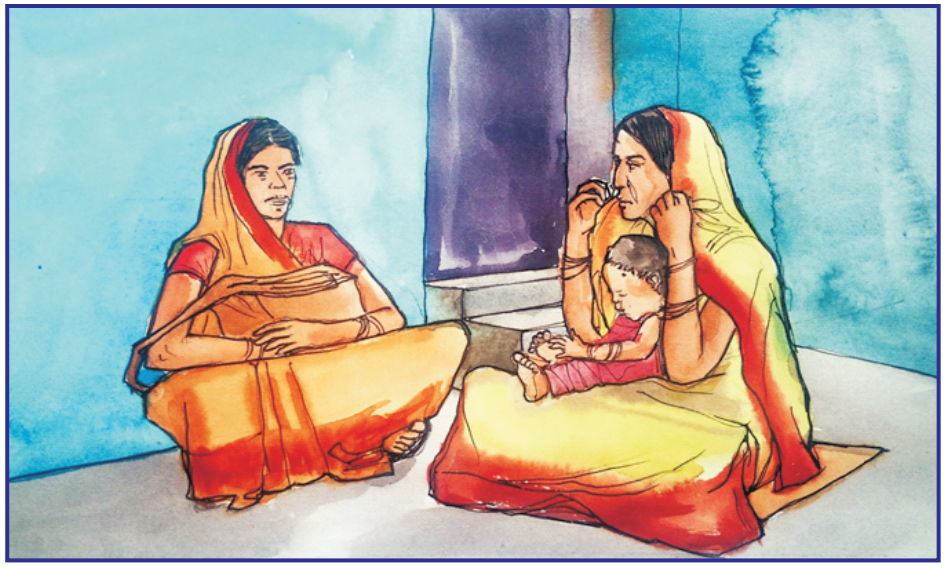

अमरबती : कैसी हो सुमन? तबियत कुछ खराब है क्या?

सुमन : कुछ नहीं दीदी ! 2–3 दिन से उल्टी हो रही है कुछ खाने का मन नही हो रहा है।

अमरबती : सुमन तुम्हारा महीना कब आया था? कही महीना रूका तो नही है

सुमन : अभी जचकी के बाद तो महीना खुला ही नही है, दीदी।

(थोड़ा सोचकर)

अमरबती : हो सकता है कि तुम फिर से गर्भवती हो।

रधिया : अरे, महीना नहीं खुला है तो फिर से बच्चा कैसे रूक गया होगा?

अमरबती : क्यों रधिया, ' लाम्हा लइका नहीं होता है क्या?

(अमरबती अपने बैग से प्लास्टिक कप निकालती है)

जा सुमन इस डिब्बी में पेशाब लेकर आना, जाँच से तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चा रूका है या नहीं

यू.पी.टी. जाँच : गर्भावस्था है या नहीं यह तुरंत जानने का सरल, सस्ता, पक्का रास्ता। यू.पी.टी. जाँच के फायदे और तरीके के बारे में चर्चा करें। ' लाम्हा लइका–जचकी के बाद महिना खुलने से पहले फिर से रूका हुआ गर्भ।

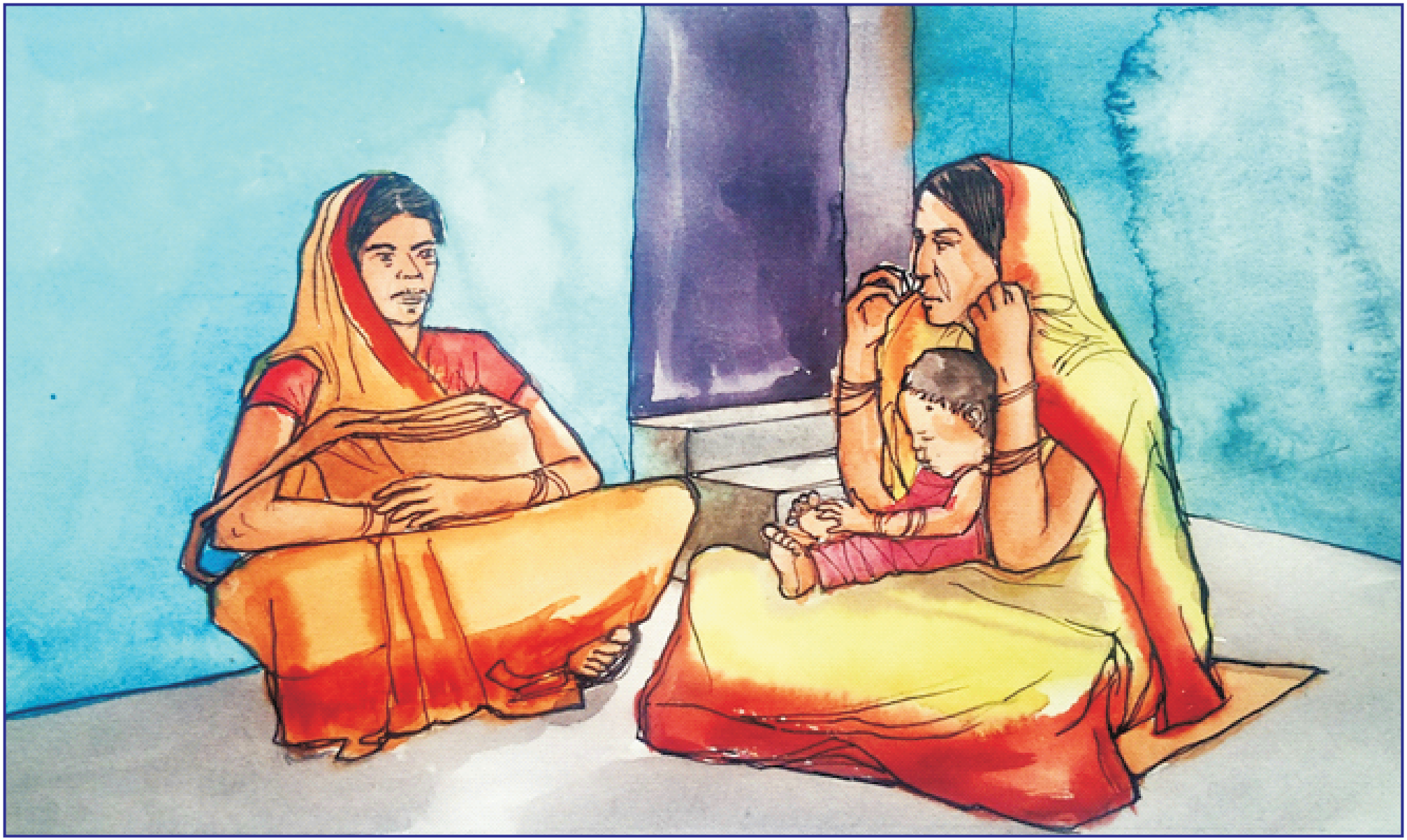

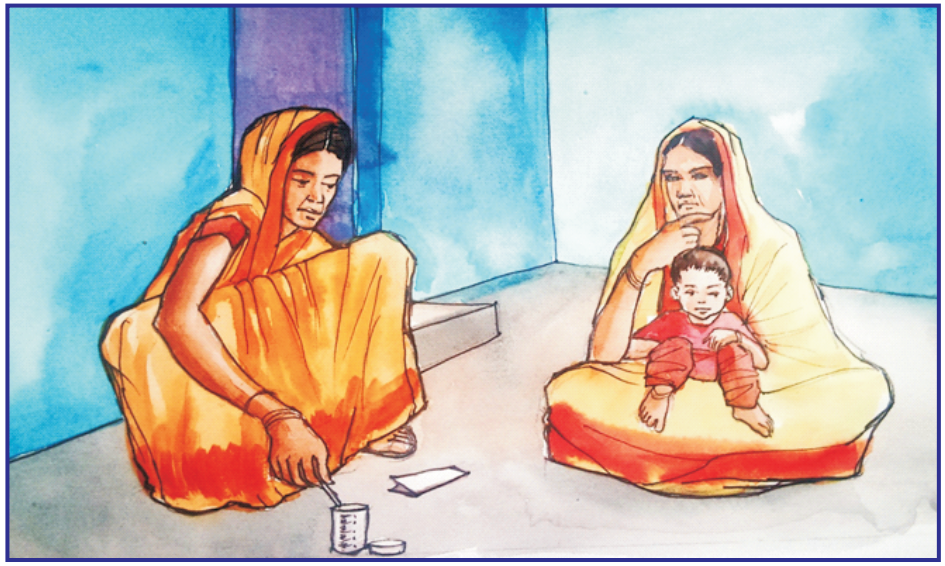

(अमरबती पेशाब की यू.पी.टी. जाँच करती है)

अमरबती : देख सुमन मेरा अंदाजा सही निकला, तुम्हारे पेट में बच्चा रूका है। अगले हफ्ते गर्भवती जाँच में आ जाना।

(सुमन चुप हो जाती है)

अमरबती : क्या हुआ सुमन, आओगी ना?

सुमन : सच बताऊँ दीदी मुझे भी लग रहा था कि शायद बच्चा रूका है पर .....

अमरबती : पर क्या सुमन? बोल बहन

सुमन : पर मैं अभी इतने जल्दी दूसरा बच्चा नहीं चाहती। दीदी मेरा यह बच्चा अभी बहुत छोटा है और कमजोर भी। फिर से गर्भवती हो जाऊंगी तो इसे कैसे संभालूंगी?

(फिर थोड़ी चुप हो जाती है)

अमरबती : क्या हुआ सुमन पूरी बात बता।

सुमन : यही सोचकर मैने कच्ची कराने के लिए अपने पति को मेडिकल स्टोर से गोली लाने के लिए बताया है।

महिलाएं क्यों कच्ची कराना चाहती है? क्यों छुपाती है? कारणों के बारे में चर्चा करें।

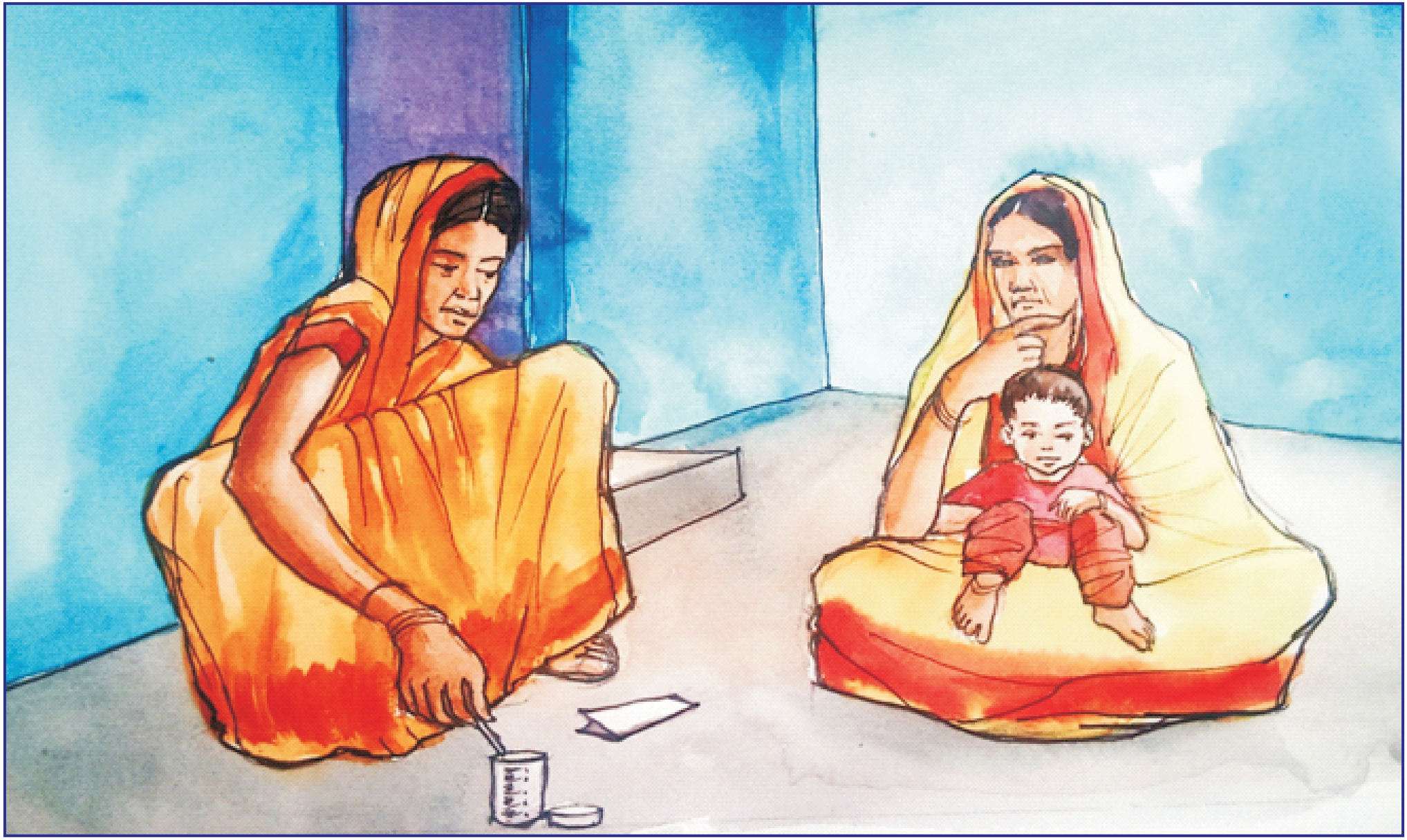

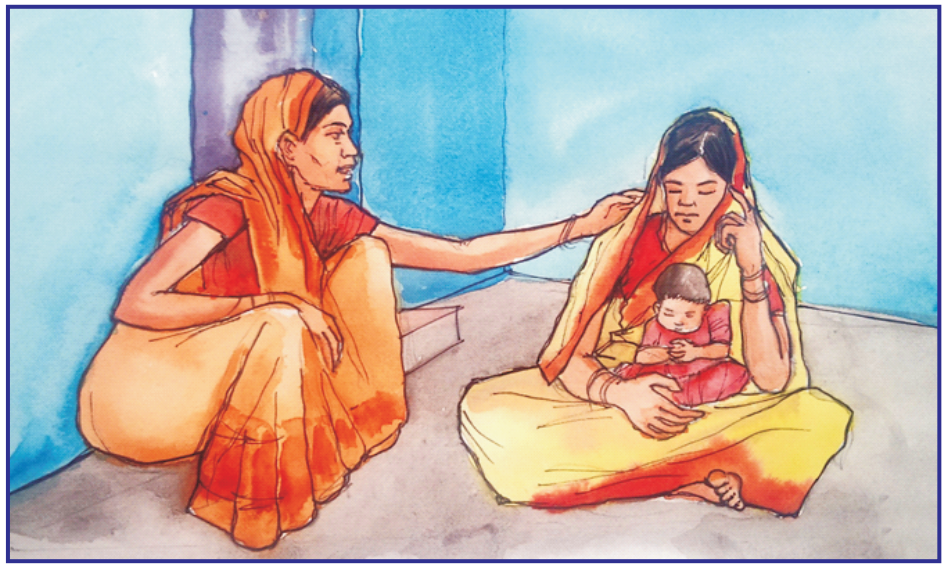

अमरबती : अरेरे..... देख बहन, बिना जांच और बिना डॉक्टरी सलाह से कच्ची कराना बहुत गलत बात है। बच्चा पूरी तरह से न गिर पाया तो खतरा हो सकता है।

रधिया : सुमन तुमने ये बात मुझे भी नहीं बताई, ऐसे कच्ची क्यों करा रही हो? अभी बच्चा है तो रख ले, अगली बार से खयाल रखना।

सुमन : नही दीदी, मेरा यह बच्चा तो बस 10 माह का है, और कितना कमजोर भी। मै अभी दूसरा बच्चा नही चाहती।

अमरबती : सुमन तुम्हारी बात सही है, इतने जल्दी फिर से बच्चा रूकने से जच्चा – बच्चा दोनों को परेशानी हो सकती है।

यदि बच्चा गिराना ही है, तो मैं अस्पताल ले चलूंगी, वहां पर डॉक्टर से गर्भपात करा सकती हो। यह सुरक्षित होगा।

(यह सुनकर सुमन थोड़ी देर चुप रहकर कुछ सोचती है फिर कहती है?)

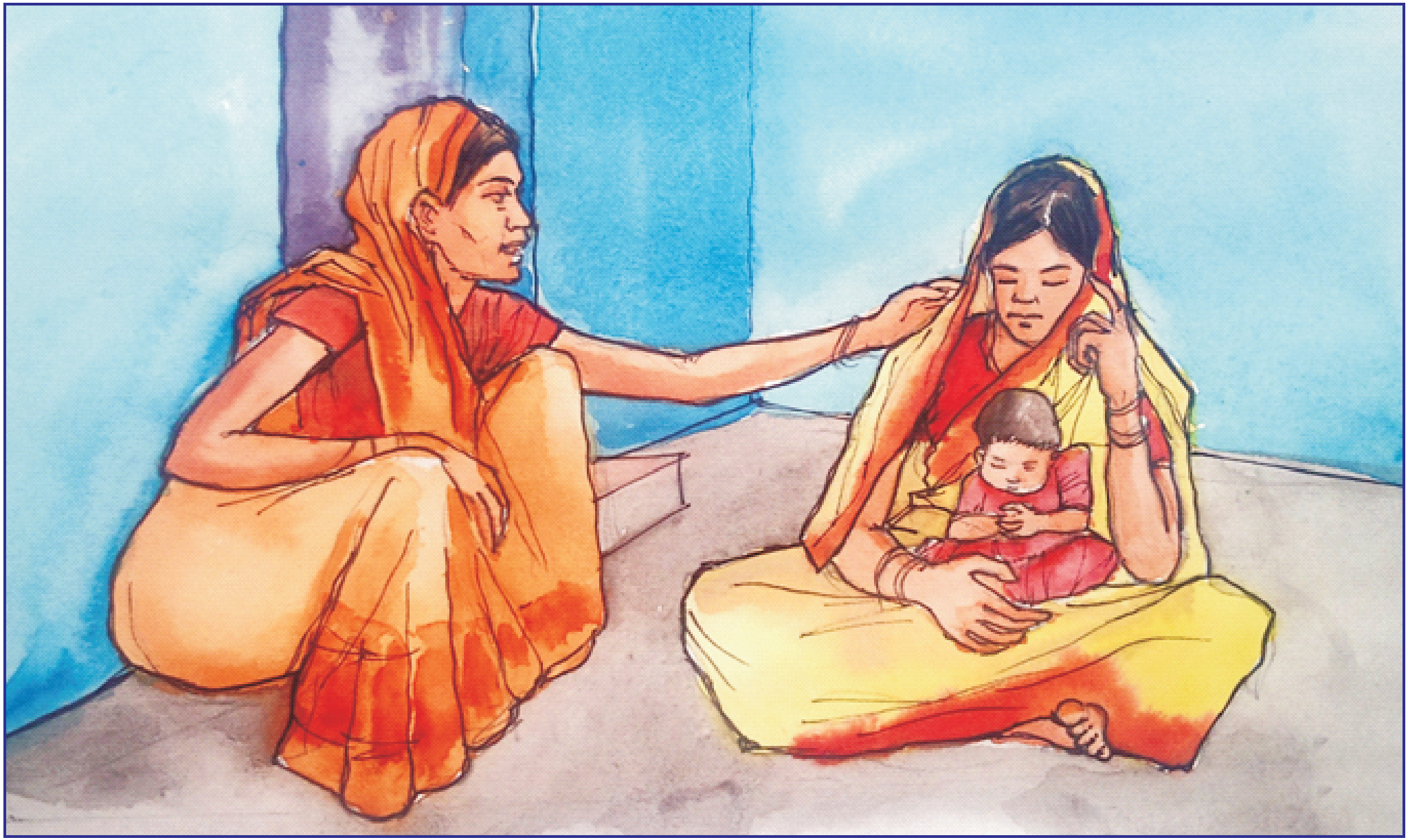

सुमन : नही–नही दीदी मैं अस्पताल में गर्भपात नहीं कराऊँगी मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं अस्पताल में क्या–क्या करेंगे। यदि गोली से बच्चा नहीं गिरेगा तो मैं पास के गांव में जो एक दाई अपने घर में पेट की मालिश करके बच्चा गिराती है वहां जाऊँगी :

(सुमन की जेठानी रधिया भी सुमन की हां में हां मिलाती है)

अमरबती : देखों रधिया और सुमन तुम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, कि इस प्रकार से गर्भपात कराने में जान भी जा सकती है।

रधिया : नहीं दीदी कहते हैं दाईं पेट की मालिश कराके आसानी से कच्ची करा देती है।

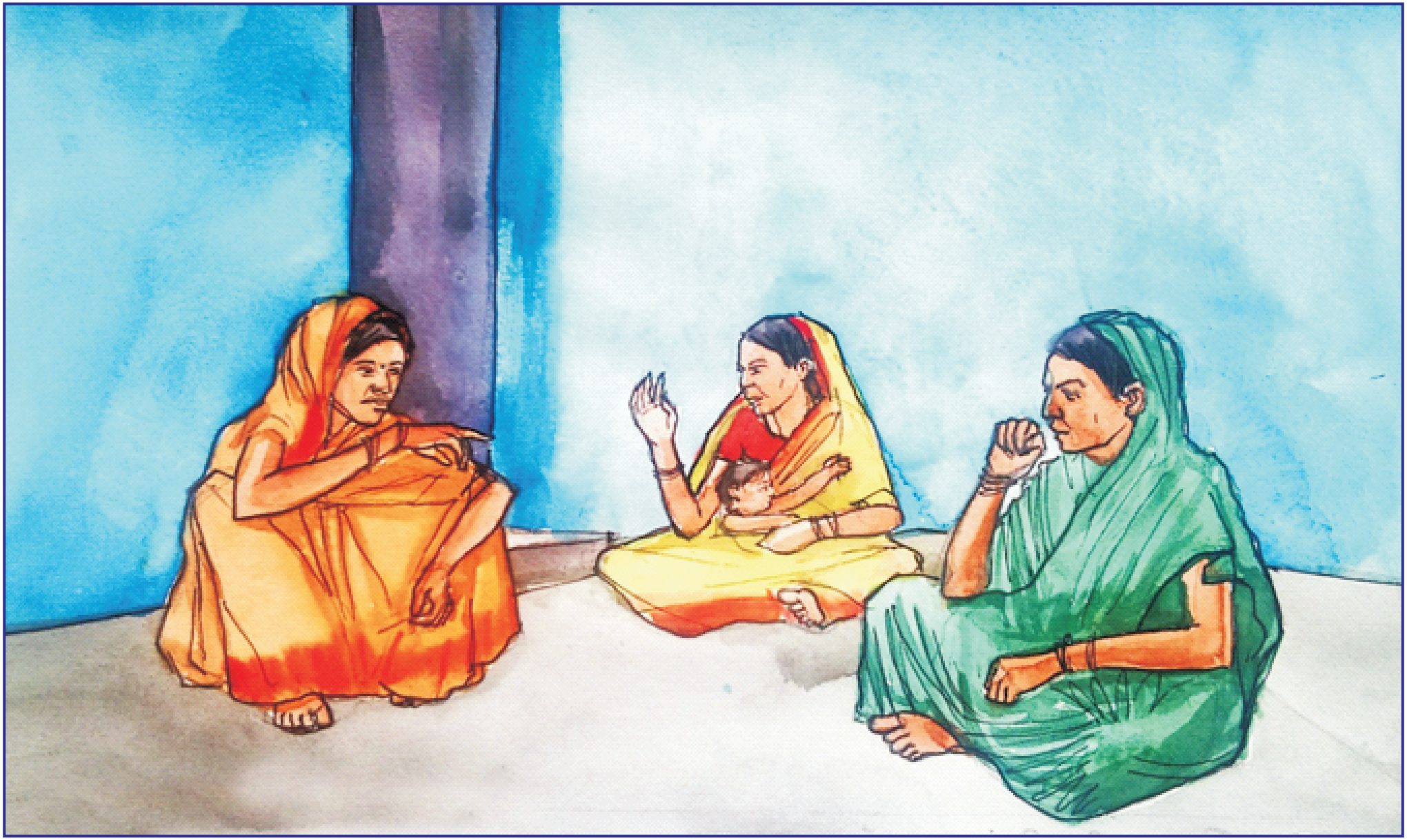

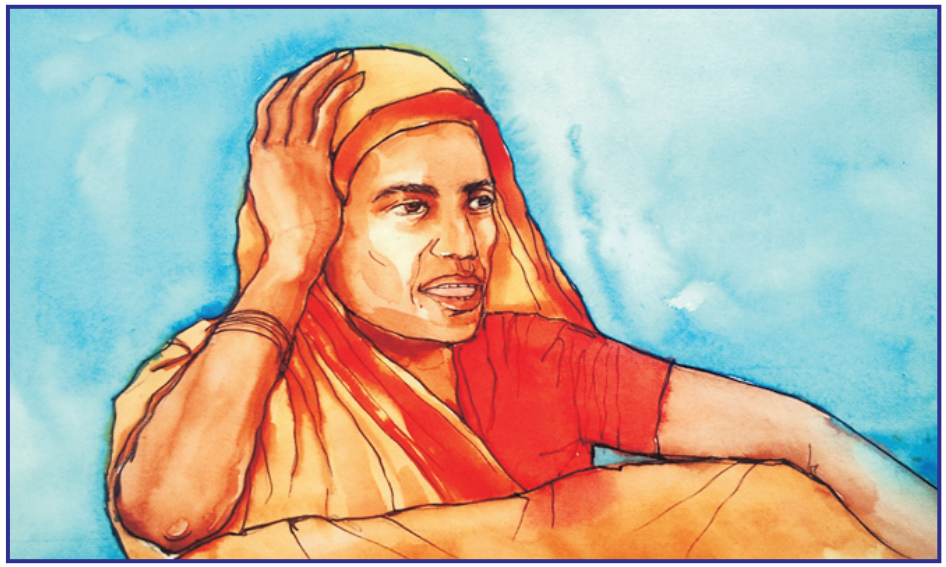

अमरबती : सुमन रधिया मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम्हे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ऐसा करने से बहुत परेशानी हो सकती है।

रधिया : अरे! अभी जो परेशानी हो रही है उससे ज्यादा परेशानी थोड़ी ना होगी। (अमरबती ये सब बातें सुनकर सोंच में पड़ गई उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रधिया, व सुमन को किस तरह से समझा पाएगी, कि असुरक्षित तरीके से किया गया गर्भपात – जानलेवा साबित हो सकता है)

अमरबती : मैं तुम दोनों को कैसे समझाऊँ कि ऐसा कभी मत करना।

मैने देखा है, असुरक्षित गर्भपात कराने से महिलाओं को मरते हुए।

तुम दोनों तो ये जानते हो कि मेरे भतीजे की पत्नि श्यामा की किस तरह से मृत्यु हुई थी।

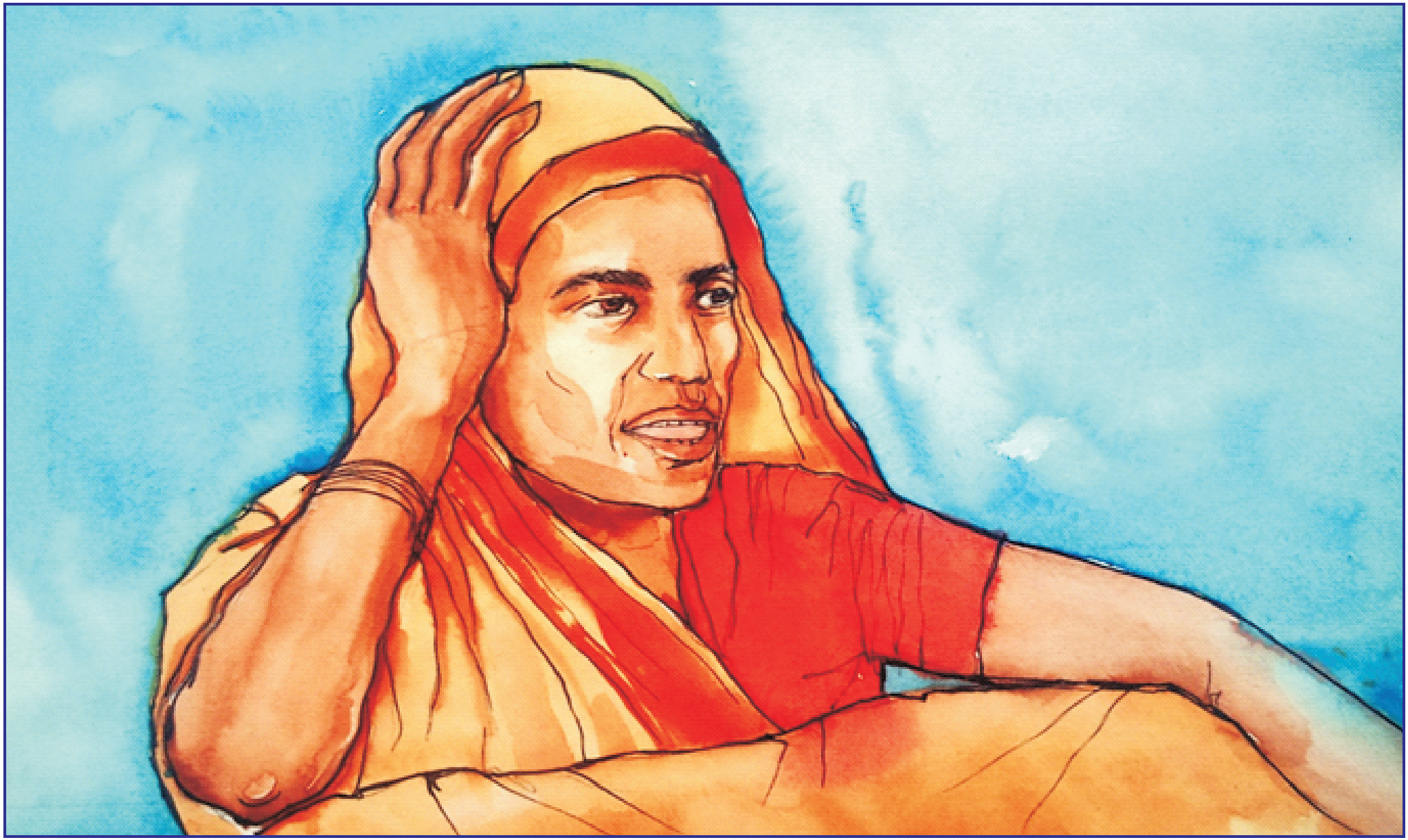

रधिया : हां !

अमरबती : श्यामा का पांचवा गर्भ था, तीन माह का। वह उसे नहीं लेना चाहती थी, और एक गांव में गर्भपात करने वाली एक महिला के पास जाकर उसने गर्भपात करा लिया। घर आने के तीन–चार दिन बाद उसे बुखार आया और नीचे से बदबूदार मवाद जैसा पानी जाने लगा। उसने मुझे भी इसके बारे में जानकारी नही दी कि वह बच्चे को नहीं लेना चाहती है, और गर्भपात कराना चाहती है।

एक सप्ताह के अंदर श्यामा की मृत्यु हो गई

(एक लंबी सांस लेने के बाद)

काश! मुझे श्यामा ने बता दिया होता, कि वह गर्भपात कराना चाहती है तो मैं अस्पताल लेकर चली जाती। गर्भपात के बाद भी यदि मुझे भनक भी होती, कि उसे क्या परेशानी हो रही है, तो भी मैं उसे मरने से शायद बचा लेती। श्यामा गर्भपात कराने के बाद उधर से ही अपने मायके गाँव चली गई थी।

सुमन मैं तुम्हे यह बातें कहानी बनाकर नहीं बता रही हूं यह सच्ची घटना है। मेरे परिवार में तो श्यामा के मरने के बाद घर के लोग जैसे टूट गए हैं।

रधिया : सच दीदी हमें तो पूरी बात की जानकारी ही नही थी कि श्यामा की मृत्यु का कारण क्या है? हम तो यही सोच रहे थे कि श्यामा की मृत्यु बुखार के कारण हुई होगी।

सुमन : जिससे गर्भपात कराया उसने ऐसा क्या किया होगा जिसके कारण श्यामा की मृत्यु हो गई? हमने तो सुना है कि कई महिलाऐं दवा खाकर व पेट की मालिश कराके गर्भपात कराती हैं। मेरी जानकारी में और तो कोई महिला नहीं है जिसकी मृत्यु गर्भपात कराने के कारण हो गई है।

अमरबती : श्यामा को पहले पेट पर मालिश कि गई इस प्रक्रिया में उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ उसके बाद भी बच्चा नहीं गिरा तो बांस की पतली लकड़ी छीलकर उसकी शुरूवात में कपड़ा लपेटकर उसमें पानी जैसी कुछ दवा लगाने के बाद लकड़ी के नुकीले हिस्से को बच्चेदानी के अंदर डालकर लकड़ी को हिलाया गया। ऐसा करने पर कई बार बच्चेदानी में छेद होना व फटने की समस्या हो सकती है जिसके कारण बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, और महिला मर सकती हैं।

श्यामा को ज्यादा खून तो नहीं बहा, लेकिन उसके बच्चेदानी में लकड़ी डालने के कारण मवाद पड़ गया जिसके कारण उसे बुखार आ रहा था इसी में श्यामा की मृत्यु हो गई।

रधिया : ऐसे कच्ची कराना तो और भी खतरनाक लग रहा है।

संक्रमण क्या है उसके बारे में चर्चा करें –

संक्रमण उसे कहते है – जहां पर किसी भी कारण से जीवाणु पनप कर अपनी संख्या बढ़ाकर अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। ऐसे में उस जगह मवाद पड़ जाता है मरीज को बुखार आता है। यदि जीवाणु पूरे शरीर में फैल जाए तो मृत्यु का कारण हो सकते है। यह संक्रमण असुरक्षित ढंग से सुई लगाने से, बच्चेदानी में लकड़ी डालने से और सफाई न रखने के कारण हो सकता है।

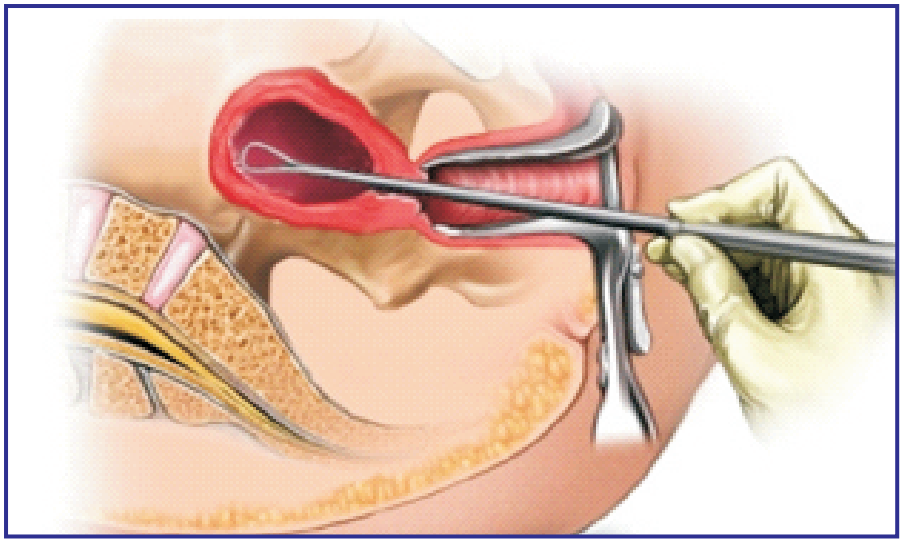

सुमन : दीदी कौशिल्या बता रही थी कि अस्पताल में भी तो नीचे बच्चेदानी का मुँह खोलकर, अंदर कुछ डालकर ही सफाई करते हैं।

अमरबती : कौशिल्या ने सही बताया है। जब अस्पतालों में गर्भपात कराया जाता है तब इस प्रक्रिया से पहले गर्भपात में उपयोग में आने वाले सभी औजारों को अच्छे से पका लिया जाता है जिससे औजारों में मौजूद जीवाणू/कीटाणु नष्ट हो जाते है। गर्भपात कराते समय साफ दस्ताने पहने जाते हैं।

गर्भपात करने के पश्चात् जीवाणू नाशक व दर्द कम करने के लिए दवा भी दी जाती है। जिससे संक्रमण होने का खतरा नहीं होता है।

स्वास्थ्य केन्द्र में साफ जगह और साफ साधनों से बच्चेदानी का मुँह थोड़ा खोलकर धुलाई की जाती है।

डॉक्टरी सलाह से गोली खाकर भी कच्ची कराया जा सकता है। परंतु इसमें डॉक्टरी देखरेख, खून जाने के बाद दुबारा जाँच भी जरूरी होती है। किसी के अस्पताल में हुए अनुभव के बारे में बात करें।

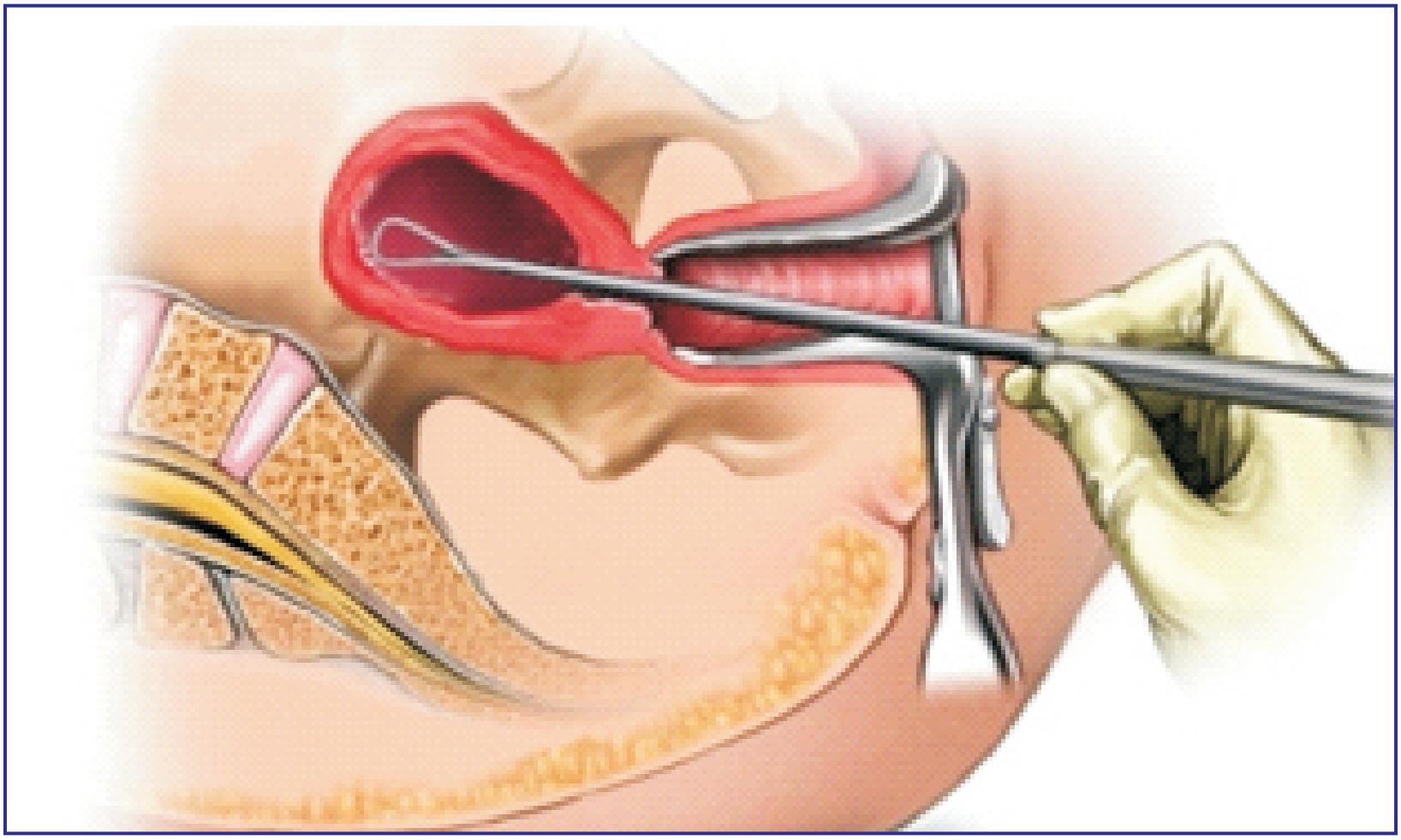

सुमन : अच्छा हुआ दीदी जो आपने बता दिया कि पेट मालिश कराकर और बच्चेदानी में कुछ डालकर गांव में कच्ची (गर्भपात) कराना खतरनाक है। जिस प्रकार से श्यामा को गर्भपात हुआ वह सुनकर तो मेरे रौंगटे खड़े हो रहे हैं।

अमरबती दीदी मैं दवा खाकर तो गर्भपात करा सकती हूं, है ना? उसमें तो ना दर्द है, ना संक्रमण की चिंता।

रधिया : हां, अमरबती दीदी ए मुझे लगता है दवा खाकर गर्भपात कराने में कोई झंझट ही नही है। सूजी लगाने के लिए जो डॉक्टर बाबू आते हैं शायद उनके पास भी यह दवा होती है।

सुमन : हां सच में यह आसान है। दवा खाओ और बच्चा आसानी से गिर जाएगा। अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं ना तो कोई परेशानी। ऐसा तो कई महिलाएं करती हैं।

अमरबती : हां यह सही बात है कि दुकान में मिलने वाली दवाई से कई महिलाएं कच्ची कराती है पर इससे कोई परेशानी नहीं होती यह बात सही नहीं। बिना सलाह दवाई खाने वाली कई महिलाओं में लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में खून जाता है। कई बार इसे आम बात सोचकर अपनी परेशानी के बारे में वह नहीं बताती। यही लापरवाही उन्हें मौत के द्वार पे खड़ा कर देती है।

रधिया : मतलब गोली खाने से जान भी जा सकती है?

अमरबती : हां रधिया, समय पर ज्यादा खून जाना न रोका गया, तो खून की कमी के कारण महिला की जान जा सकती है। इसीलिए यह गोली डॉक्टरी सलाह और देखरेख में खानी चाहिए जिससे कोई भी परेशानी आए तो उसको समय पर संभाला जा सकता है।

अमरबती : पास के एक गांव में एक शादीशुदा महिला थी, सुशीला के शादी को पूरा एक साल ही हुआ था। लेकिन पति–पत्नि के बीच कुछ अनबन के कारण वह अपने मायके में आकर रहने लगी। और वह उस वक्त 2 माह की गर्भवती थी। सुशीला उस बच्चे को लेना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने पास के गांव में रहने वाले झोलाछाप डॉक्टर से बच्चा गिराने के लिए दवा मांग कर खा लिया।

दवा खाने के पांचवे दिन से उसे खून जाना शुरू हो गया। सुशीला को खुशी हुई कि उसका गर्भपात हो गया। लगभग एक सप्ताह तक खून थोड़ा–थोड़ा जाने के बाद एक दिन बहुत ज्यादा खून जाना शुरू हो गया। इतना ज्यादा कि दिन में कई बार उसको कपड़े बदलने पड़ रहे थे।

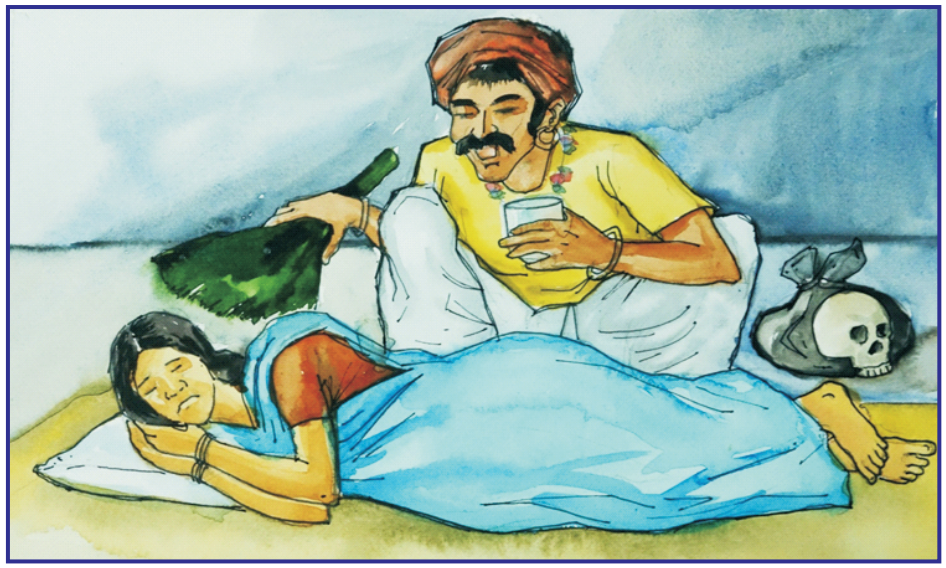

वो परेशान हो गई। घर में अपनी मां को बताया तो मां ने समझा किसी ने टोना–जादू कर दिया। तो उन्होने बैगा बुलाकर झाड़फूंक कराना शुरू कर दिया। तब तक सुशीला का रंग सफेद पड़ गया और वह बेहोश भी हो गई। इस दौरान भी सुशीला का खून जा रहा था।

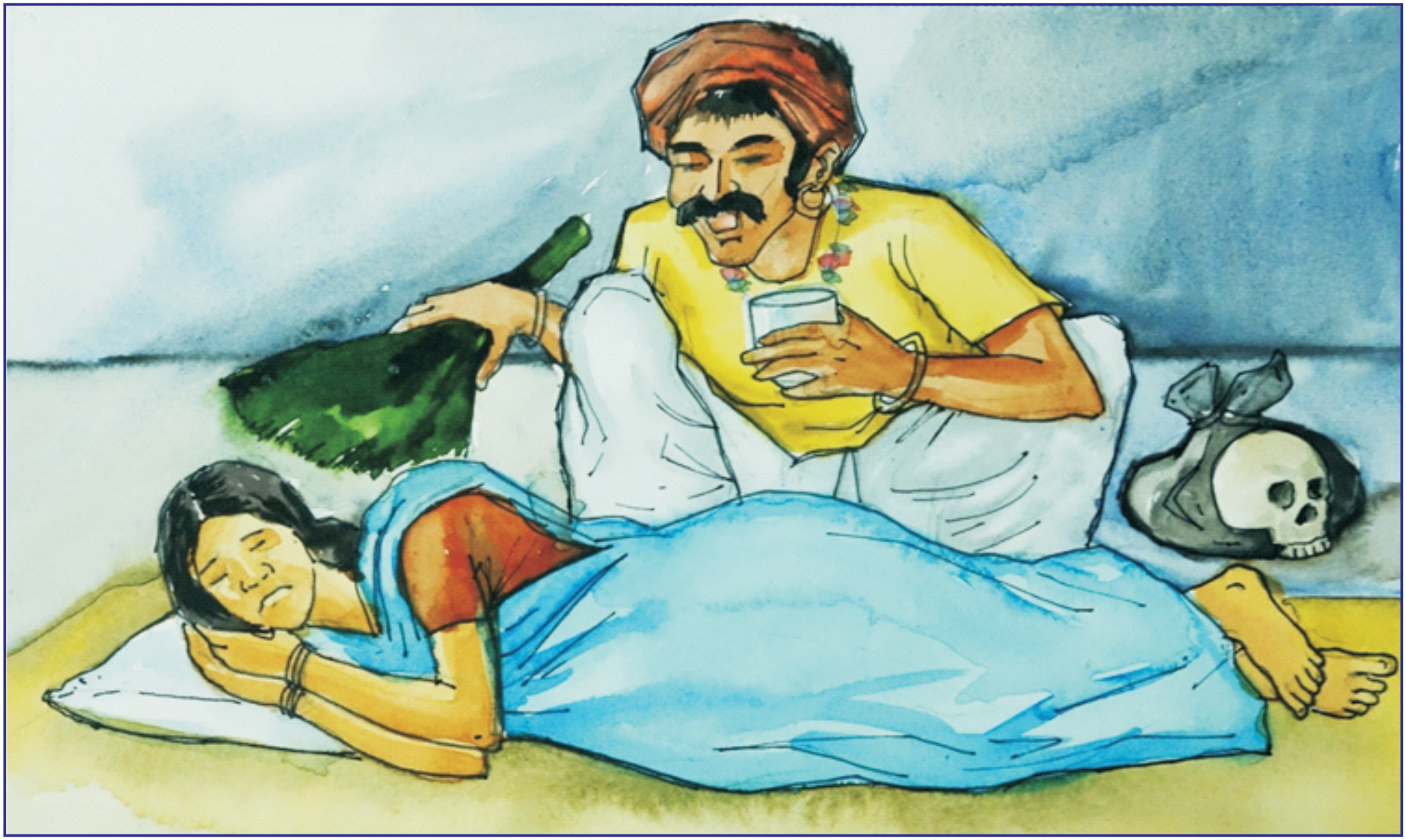

किसी तरह से खबर उस गांव की स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऊषा को लगी। तो वह सुशीला के घर उसे देखने चली गई। उसने वहां जाकर सुशीला को जब देखा तो उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, और अगर इसे तुरंत अस्पताल नहीं ले जाएंगे, तो सुशीला मर सकती है। उसने तुरंत, अस्पताल में फोन लगाकर एम्बूलेंस मंगाया।

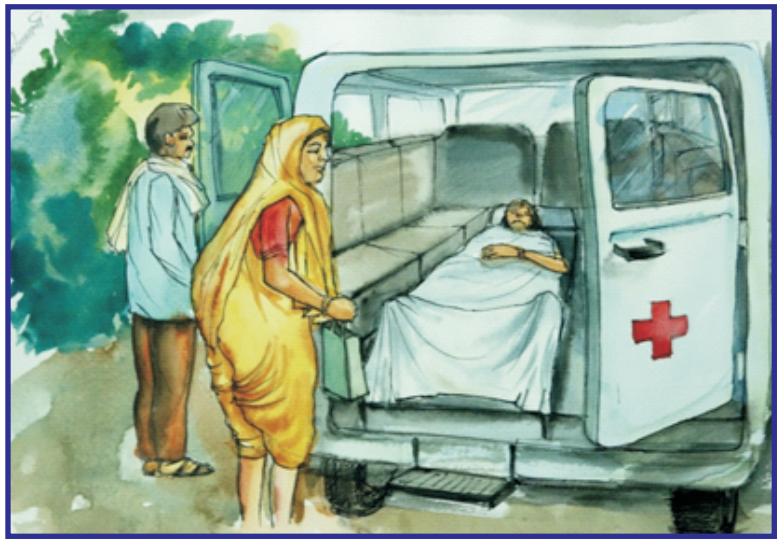

एम्बूलेंस पहुंचने के आधे घंटे बाद तक सुशीला को उसके परिवार वालों ने एम्बूलेंस में लाकर नहीं बैठाया। उन सबके मन में यही बात थी कि सुशीला को किसी ने जादू–टोना किया है। और लगातार झाड़–फूंक कराया जा रहा था। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऊषा के कई बार बताने पर और उसकी बिगड़ती हालत को देखकर घरवाले सुशीला को अस्पताल ले गए। अस्पताल में दो बॉटल खून चढ़ाया गया, बच्चेदानी की धुलाई हुई तब जाकर सुशीला की जान बच पाई।

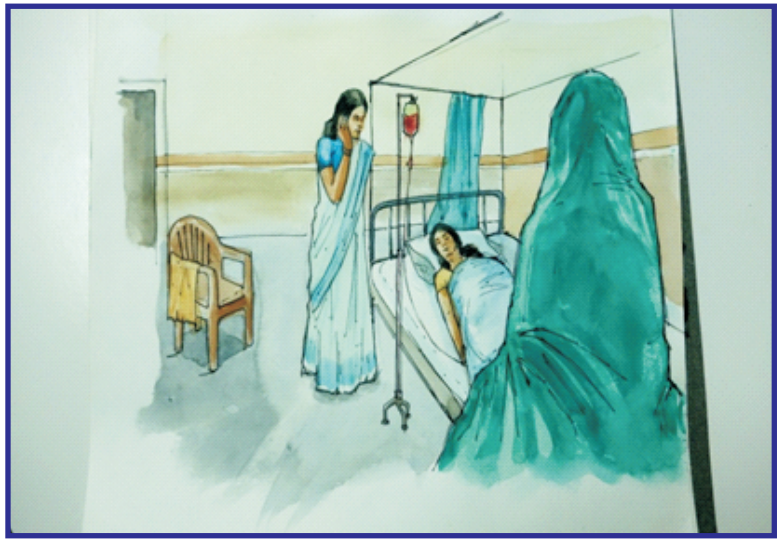

सोचो अगर समय पर ऊषा न पहुँचती?

या एम्बुलेंस ना मिलती?

या अस्पताल में खून ना मिल पाता?

तो क्या सुशीला बच पाती?

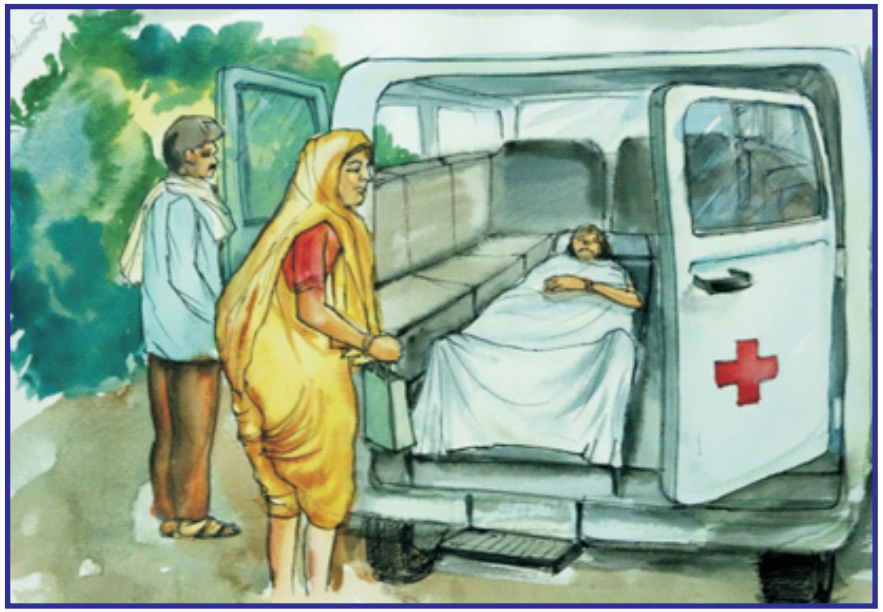

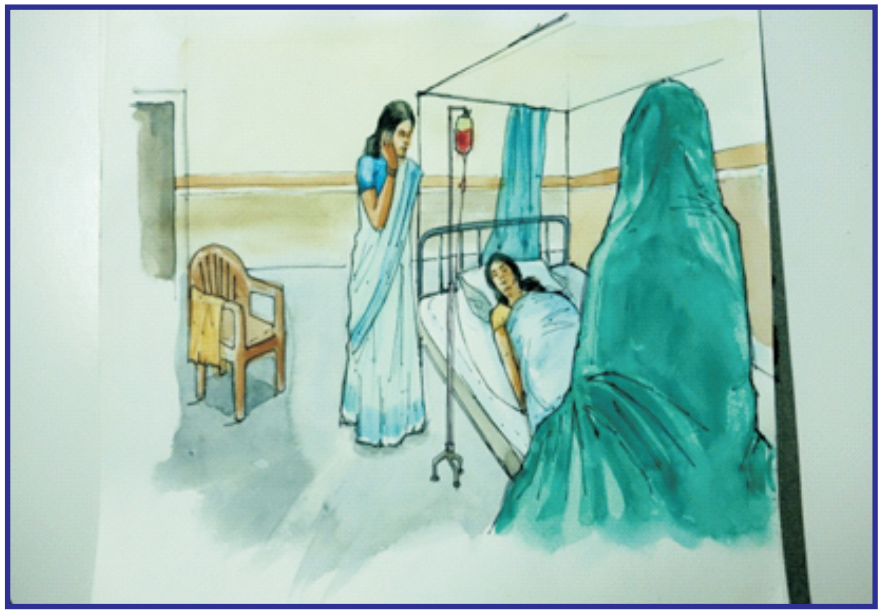

सुमन : सच बात कह रही हो दीदी, सुनकर बहुत दुःख हो रहा है, कि हम महिलाओं के साथ क्यों ऐसा होता है,

रधिया : बिना सलाह कच्ची कराने के खतरे को आज हम समझ पाए। अच्छा हुआ आज आपने बता दिया वरना हम इस खतरे से हमेशा अनजान रहते।

सुमन : श्यामा और सुशीला को अगर इस बात की जानकारी होती तो वह बिचारी भी कभी अपनी जान को जोखिम में न डालती।

अमरबती : अब तो तुम असुरक्षित ढंग से गर्भपात नही कराओगी ना?

सुमन : नहीं दीदी! बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता नहीं था इसीलिए मैं यह नादानी करने जा रही थी। मुझे कुछ हो जाता तो फिर मेरे दोनों छोटे–छोटे बच्चों का क्या होता? (रोती है)

रधिया : क्यों ऐसी बात करती हो। दीदी ने समय पर जानकारी दे दी। अब तो सब अच्छा ही होगा।

हम दोनों कल अस्पताल चलेंगे, बस आप भी साथ चलना।

अरमबती : हां, बहन चिंता मत करना मै जरूर साथ चलूंगी।

क्या अनचाहे गर्भ से बचने के लिए कोई उपाय हैं? इस सवाल को उठाते हुए गर्भनिरोधक साधन के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

अच्छा सुमन, रधिया अब मैं आगे के घरों में परिवारों का हाल–चाल पता करने जा रही हूं। बड़ी देर हो गई है।

रधिया : बातों बातों में मैं आपसे पानी भी नही पूछ पाई।

अमरबती : अरे नहीं रधिया बहुत देर हो गई है। मेरा बाकी का गांव घूमना अभी बचा है। अब से जब भी मैं बैठक करूंगी तो तुम दोनों भी उस बैठक में जरूर आना।

रधिया : ठीक है दीदी।

सुमन : ठीक है दीदी हम जरूर आएंगे।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता अमरबती आगे के घरों की ओर चल देती है ...

पेशाब की जाँच द्वारा पता करें कि गर्भ ठहरा है या नहीं

जब गर्भ ठहर जाता है तब बच्चेदानी के फूल (प्लासेन्टा) से एक ऐसा रस (मानव कोरियोनिक गोनोडोट्रापिन HCG हार्मोन) निकलता है यह रस खून में आ जाता है और खून से फिर पेशाब में आ जाता है यह जाँच इसी रस का पता लगाती है। यह जाँच गर्भ ठहरने के 10 दिनबाद या महीना रूकने के अगले दिन भी की जा सकती है।

यह जाँच कब करते हैं?

1. जब किसी लड़की या महिला का महीना रूका हो
2. जब लड़की की उम्र 13 वर्ष से अधिक हो और महीना न आ रहा हो
3. जब किसी महिला की जचकी हो गई हो उस के बाद भी उल्टियाँ होती हो
4. कॉपर–टी लगवाने और महिला नसबंदी करवाने से पहले
5. X-ray करवाने से पहले
6. कोई खास दवा शुरू करने से पहले जिस से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता हो
7. पेट दर्द और खून की कमी की परेशानी वाली महिलाओं में (यह देखने के लिए कि गर्भ बच्चेदानी की नली में तो नहीं ठहर गया है)

आवश्यक सामाग्री :–

1. यूरिन प्रेगनेन्सी किट (UPT)
2. यूरिनकंटेनर (पेशाब को एकत्रित करने वाला डिब्बा)

नमूना संग्रह करने की विधि :–

नमूना संग्रह करने के लिए साफ और सूखा यूरिनकंटेनर लें और उसमें सुबह का पहला पेशाब लाने को कहें क्योंकि उसमें गर्भाशय के फूल से निकलने वाले रस (HCG) की मात्रा अधिक पायी जाती है अगर सुबह का पेशाब उपलब्ध न हो तब दिन भर में किसी भी समय का पेशाब ले सकते हैं।

जाँच की विधि :–

अब एक साफ और सूखे यूरिन कंटेनर में सुबह का पहला पेशाब या दिन में किसी भी समय का पेशाब 3–5 मि.ली. लें।

अब UPT किट के पैकेट को खोलें और स्ट्रिपिंग लेकर जिधर तीर का निशान दिया गया है उस तरफ से पेशाब से भरे कंटेनर में खड़ा डाले और 10 से 15 सेकण्ड तक पेशाब में ऐसे ही भीगे रहने दें पर यह ध्यान रखें कि पेशाब अधिकतम लाइन (MAX) के निशान से आगे ना डूबे।

अब स्ट्रिपिंग कालें और किसी साफ सूखी जगह पर रखें। 3 से 5 मिनट के बाद देखने पर परिणाम प्राप्त होंगे।

परिणाम :–

स्ट्रिप में दो लाइनें होती है जिसे 'T' और 'C' के नाम से जाना जाता है। 'T' का मतलब होता है टेस्ट लाइन और 'C' का मतलब होता है कंट्रोल लाइन। जब ये लाइने पेशाब से गीली होती है तब लाल रंग की लाइन के रूप में उभर कर दिखाई देती है और इसे ही देखकर परिणाम प्राप्त होते है जो निम्नप्रकार है–

1. **पॉजिटीव :–** इसमें लाल रंग की दो लाईने दिखाई देती है (इसका मतलब है कि गर्भ में बच्चा है)
2. **निगेटिव :–** इसमें लाल रंग की एक लाईन दिखाईदेती है (इसका मतलब है कि गर्भ में बच्चानहीं है)

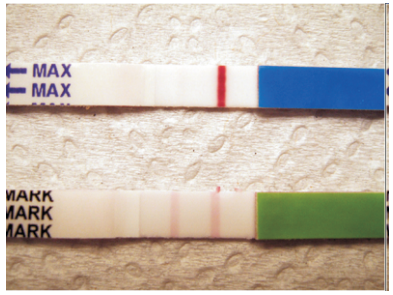

विशेष टिप्पणी :–

UPT किट का प्रयोग करते समय किट के प्रयोग करने की अंतिम तारीख अवश्य देखें।

यदि स्ट्रिप में दो या एक लाईन नहीं बनता है तो हमें समझना चाहिए कि यह किट खराब है और नए किट से इस जाँच को दोहराना चाहिए।

चिकित्सीय गर्भसमापन कानून (MTP Act) के बारे में....

1. असुरक्षित एवं गैरकानूनी गर्भसमापन का चिकित्सीय गर्भसमापन कानून क्यों बनाया और कैसे बनाया गया?

1971 से पूर्व भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत गर्भसमापन को अपराध माना जाता था। इसके अनुसार महिला व गर्भसमापन करने वाला, दोनों ही सजा योग्य जाने जाते थे। यह केवल एक ही परिस्थिति में मान्य था, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो कि महिला का गर्भसमापन उसके जीवन की रक्षा के लिए उसके हित में किया गया। मातृत्व स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए पहली बार 1964 में गर्भसमापन का मुद्दा केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की बैठक में उठाया गया। नतीजन एक ग्यारह सदस्यीय टीम का गठन किया जिसे 'शान्तिलाल शाह समिति' के नाम से जाना गया। समिति के प्रस्तावों के आधार पर 'चिकित्सकीय गर्भसमापन कानून' बनाया गया, जिसे संसद ने 1971 में पारित किया। कानूनी अपेक्षाओं की चिकित्सकों द्वारा अनुपालना किए जाने पर यह कानून उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है।

2. गर्भसमापन कितनी अवधि तक कराया जा सकता है?

गर्भधारण के बीस सप्ताह तक गर्भसमापन कानूनी रूप से कराया जा सकता है।

3. किन परिस्थितियों में गर्भसमापन कराना कानूनी है?

कानून के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में महिला गर्भसमापन करा सकती है–

गर्भ को जारी रखने से महिला की जान को खतरा हो

महिला के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंच सकती हो

जन्म लेने वाले शिशु को गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता का खतरा हो

बलात्कार से गर्भवती होने पर

विवाहिता या उसके पति द्वारा प्रयुक्त गर्भ निरोधक साधन विफल होने पर

4. **गर्भसमापन कराने के लिए किसकी राय आवश्यक है?**
बार सप्ताह तक के गर्भसमापन हेतु एक पंजीकृत चिकित्सक की राय लेना आवश्यक है तथा 13 से 20 सप्ताह तक के गर्भसमापन हेतु दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय लेना आवश्यक होता है।

5. **गर्भसमापन कराने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है?**
कानून के अनुसार गर्भसमापन कराने के लिए केवल महिला की अनुमति आवश्यक है। महिला स्वेच्छा से पति, परिवार, साथी या अन्य किसी की सलाह ले सकती है परन्तु गर्भसमापन कराना उसका स्वयं का फैसला है, अतः कागजों में केवल महिला को हस्ताक्षर करना या अंगूठा लगाना होता है। यदि महिला नाबालिग (18 वर्ष से कम) है या मानसिक रोगी है तो उसके अभिभावक को अनुमति देना होती है।

6. **क्या अविवाहित महिला, विधवा या तलाकशुदा महिला गर्भसमापन करा सकती है?किन परिस्थितियों में व किसकी अनुमति से गर्भसमापन करा सकती है?**
हां, चिकित्सीय गर्भसमापन कानून के अन्तर्गत अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिला गर्भ समापन करा सकती है। महिला की स्वयं की सहमति ही पर्याप्त है। यदि अविवाहित महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, तो किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति का आवश्यकता नहीं है कानून में दी गई परिस्थितियों में से केवल एक परिस्थिति (विवाहिता या उसके पति द्वारा प्रयुक्त गर्भ निरोधक साधन विफल हो गया हो) के अलावा, बाकी परिस्थितियों में अविवाहित महिला का गर्भसमापन कराया जा सकता है।

7. **कानूनी गर्भसमापन कहां करवाया जा सकता है?**
सरकार द्वारा स्थापित अथवा संचालित अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में गर्भसमापन कराया जाना मान्य है।

8. निजी अस्पतालों को गर्भसमापन कानून के अन्तर्गत पंजीकृत करने की क्या प्रक्रिया है?

सन् 2002–2003 में हुए संशोधन के मुताबिक गर्भसमापन करने वारले स्थान को पंजीकृत करने का प्राधिकार जिला स्तरीय एमटीपी समिति को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

जो निजी अस्पताल गर्भसमापन के लिए पंजीकृत होना चाहते हैं, उन्हें 'प्रपत्र ए' में स्थान अनुमोदन के लिए जिले के मुख्य किकित्सा अधिकारी को आवेदन देना होता है। संशोधित नियमों के अनुसार 12 सप्ताह तक गर्भसमापन सेवा देने वाले स्थानों तथा 20 सप्ताह तक सेवा देने वाले स्थानों के अनुमोदन की प्रक्रिया भिन्न है।

आवेदन मिलने पर जिले के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी निरीक्षण करेंगे। यदि मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी स्त्यापन व निरीक्षण के बाद संतुष्ट हैं तो वे जिला एमटीपी समिति के समक्ष उस स्थान के अनुमोदन की सिफारिश करेंगे। समिति आवेदन व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश के आधार पर संतुष्ट होने पर 'प्रपत्र–बी' के रूप में अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करवाएगी।

यह प्रमाण पत्र चिकित्सा संस्थान में एसी जगह पर प्रदर्शि त किया जाना चाहिए जहां आने वाले लोगों को आसानी से दिख सके।

9. चिकित्सीय गर्भसमापन कौन कर सकता है?

सभी चिकित्सक गर्भसमापन नहीं कर सकते। कानूनन सिर्फ निम्न चिकित्सक जिन्होंने एम.बी.बी.एस. डिग्री प्राप्त की हो, ही गर्भसमापन करा सकते हैं।

एम.डी., एम.एस, डी.जी.ओ. (स्नातकोत्तर स्त्री रोग विशेषज्ञ)

स्त्री एवं प्रसूति विज्ञान में 6 माह निवासी डॉक्टर के रूप में काम करने पर

एमटीपी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक अन्य चिकित्सा पद्धति प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्स, दाई, दवाई विक्रेता आदि गर्भसमापन करने के लिए अधिकृत नहीं है।

10. गर्भसमापन कानून के प्रावधानों की अनुपालना न करने का क्या परिणाम है?

यदि गर्भसमापन एक अपंजीकृत/अप्रशिक्षित व्यक्ति करता है, या फिर किसी ऐसे स्थान पर गर्भसमापन किया जाता है जो कि सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है, तो कम से कम 2 साल व अधिकतम 7 साल तक का कठोर कारावास तय हो सकता है।

11. महिला के गर्भसमापन की जानकारी किसे मिल सकती है?

गर्भसमापन की जानकारी कानूनन गोपनीय होती है, इसलिए संबंधित चिकित्सक व उनके अस्पताल के कर्मचारियों को गर्भसमापन की जानकारी गोपनीय रखनी होती है। इसका मतलब यह भी है कि पति या परिवारगण को अस्पताल से गर्भसमापन की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

12. गर्भसमापन के लिए पंजीकृत संस्थानों को क्या रिपोर्ट भेजनी होती है?

पंजीकृत संस्थान द्वारा प्रति माह फॉर्म 2 में संख्यात्मक जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजनी होती है। इसके अलावा कोई अन्य फॉर्म या महिला का नाम या उससे संबंधित अन्य विवरण नहीं भेजना होता है?

13. औषधीय गर्भसमापन कौन करा सकता है व कहां?

पंजीकृत चिकित्सक अपने क्लीनिक पर गर्भसमापन के लिये गोलियां दे सकते हैं परंतु, उनके क्लीनिक का औपचारिक सम्पर्क किसी ऐसे स्थान से हानो चाहिये, जो कि चिकित्सकीय गर्भसमापन कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो। चिकित्सक की लिखित सलाह/पर्ची के बगैर गर्भसमापन की गोलियां देना गैर कानूनी है। इसका मतलब यह है कि अपंजीकृत चिकित्सक, दवाई विक्रेता, नर्स, इत्यादि गर्भसमापन की गोलियां स्वयं के निर्णय पर नही दे सकते।

गर्भनिरोधक साधन

गर्भनिरोधक साधन कौन–कौन से है?

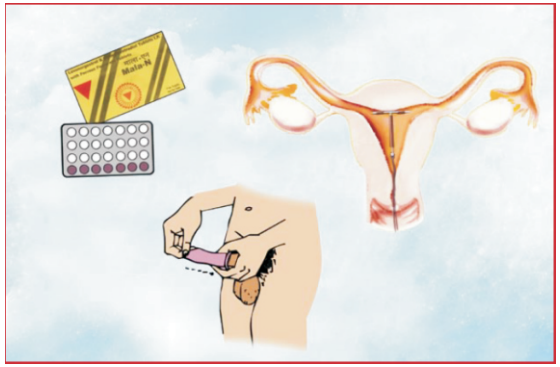

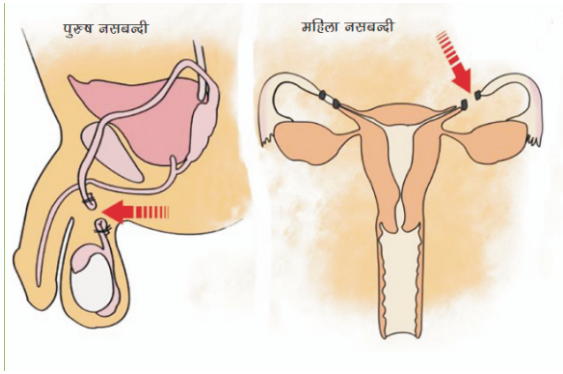

कंडोम, कॉपर टी, ओ.सी.पिल्स,
ई.सी.पी., टी.एल., एन.एस.व्ही

(1) कंडोम (पुरूषों के लिए)

यह रबर की पतली झिल्ली की बनी हुई, लिंग के आकार की एक थैली होती हे, जिसे संबंध के दौरान पुरूष अपने लिंग पर चढ़ा लेता है।

(2) गर्भनिरोधक गोली (निरोध / माला–डी की गोली)

यह हार्मोन की बनी हुई गोली होती है। यह महिला के अंडे को पक कर निकलने से रोक देती है, जिससे संबंध होने पर भी बच्चा नहीं रूकता है।

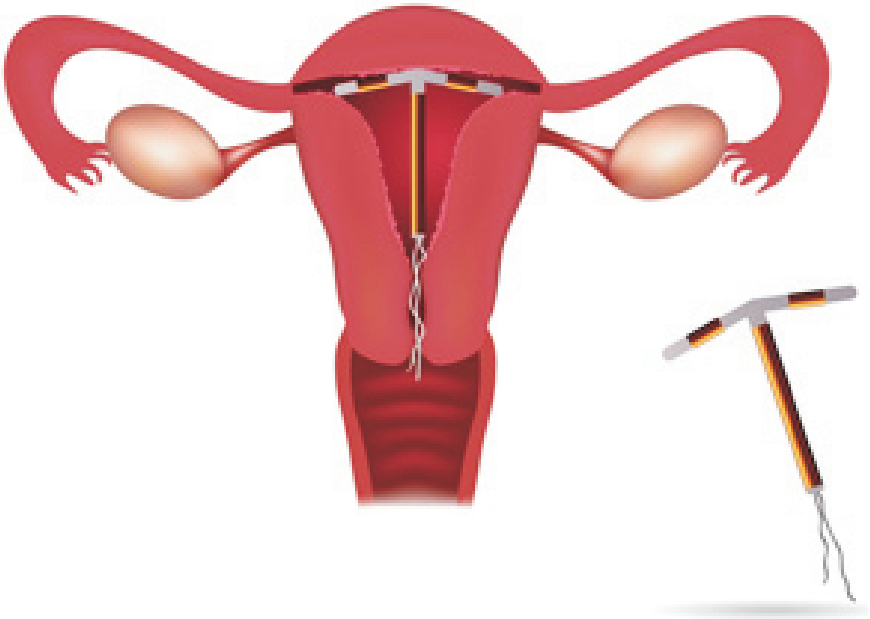

(3) कॉपर–टी

कॉपर–टी तांबे से बना हुआ अंग्रजी टी आकार का उपकरण है, जिसे बच्चेदानी के अंदर डाल दिया जाता है। यह गर्भ को बच्चेदानी में ठहरने से रोकता है। इसके प्रकार के अनुसार एक बार बच्चेदानी के अंदर डाल दिए जाने के बाद यह 3 साल, 5 साल, और 10 साल तक के लिए उपयोगी होता है। बीच में यदि महिला चाहे तो इसे निकलवा सकती है, तब फिर गर्भधारण किया जा सकता है।

(4) महिलाओं में नसबंदी

इस गर्भनिरोधक तरीके में एक छोटे ऑपरेशन से बच्चेदानी की नलियों को बांध कर काट दिया जाता है, जिससे अंडे को बच्चेदानी में आने का रास्ता बंद हो जाता है।

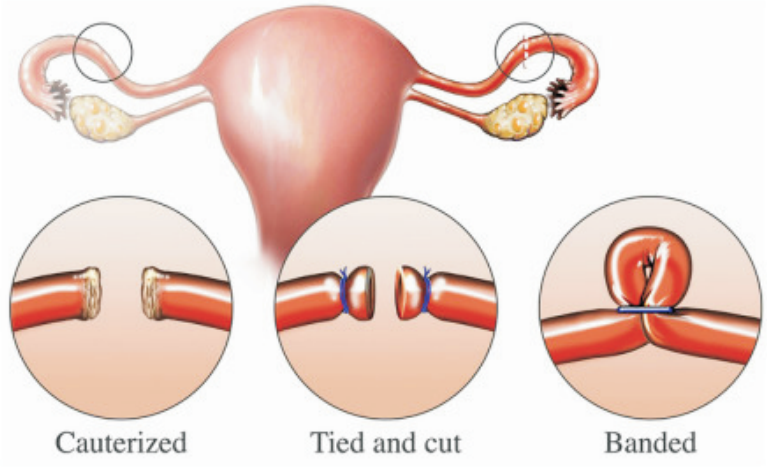

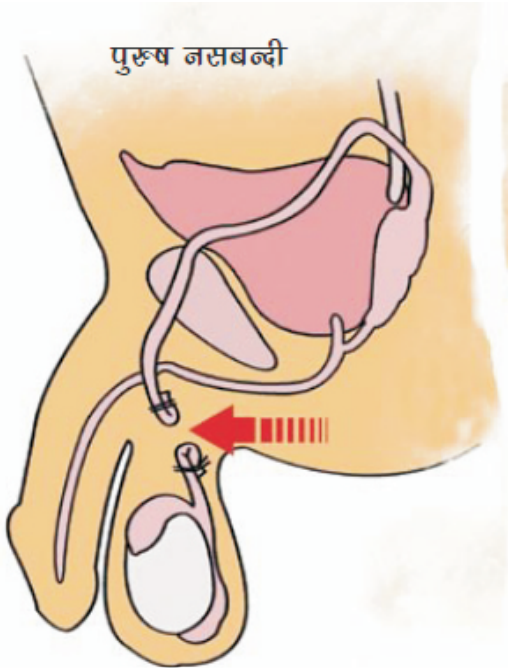

(5) पुरूष नसबंदी

इसमें पुरूषों के अंडकोष से लिंग में बीज ले जाने वाली नली को बीच से बांध दिया जाता है।

नली को बीच से बांध दिया जाता है। जिससे वीर्य में बीज नहीं होते हैं। जिससे संबंध होने पर भी गर्भ नहीं ठहर सकता है।

जन स्वास्थ्य सहयोग

रजिस्टर्ड ऑफिस: एस–295 ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, नई दिल्ली – 110048

स्वास्थ्य केन्द्र : ग्राम व पोस्ट गनियारी – 495112, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

उप स्वास्थ्य केन्द्र : ग्राम – सेमरिया, शिवतराई, जिला–बिलासपुर एवं ग्राम बम्हनी, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

फोन : 07753-244819, ई–मेल : janswasthya@gmail.com, वेब साइट : www.jssbilaspur.org

Support by:

ऑक्सफैम इंडिया Oxfam India

UKaid from the British people